PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Nai Dunia, New Delhi
Sunday 5th July 2015, Page: 2
Width: 15.75 cms, Height: 12.62 cms, a4, Ref: pmin.2015-07-05.31.10

डेंगू-मलेरिया के बढ़ते खतरे को देख सरकार ने उठाया कदम

एस्प्रिन व डिस्प्रिन प्रतिबंधित

राजधानी में डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के बगैर नहीं बेच सकेंगे दवा

नई दिल्ली (ब्यूरो)। राजधानी में इस वर्ष डेंगू-मलेरिया के बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार ने 15 अगस्त से एस्प्रिन, डिस्प्रिन, ब्रूफेन व वोब्रॉन जैसी दवाइयों की खुली बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। इन दवाओं की खरीद के लिए मरीज को चिकित्सक की पर्ची दिखानी होगी। बारिश की दस्तक के साथ डेंगू मच्छरों के शुरू हो चुके प्रजनन को देखते हुए दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया है।

फैसले के अनुसार एनएचएआईडी, नॉनस्टेरायडल एंटी इनफ्लामेटरी ड्रग्स के अंतर्गत आने वाली अधिकांश दवाइयां 15 अगस्त से 30 नवंबर तक केमिस्ट की दुकान से सीधे तौर पर कोई भी नहीं खरीद पाएगा। दवा के लिए चिकित्सक की पर्ची दिखानी अनिवार्य होगी।

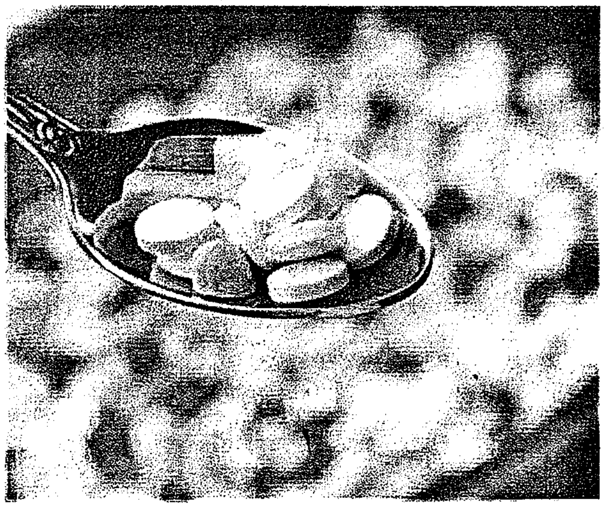

स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने जल जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए शनिवार को समीक्षा बैठक की। बैठक में विभिन्न दवा एजेंसियों, अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक भी शामिल थे। जैन का कहना है कि डेंगू का खतरा बढ़ने का एक बड़ा कारण यह भी सामने आया है कि इस मौसम में बुखार आने पर अधिकतर लोग सीधे तौर पर एस्प्रिन, डिस्प्रिन, ब्रूफेन, वोब्रान जैसी दवाएं मेडिकल स्टोर से खरीदकर खा लेते हैं, जबकि डेंगू के मामलों में ये दवाएं फायदा करने की बजाय नुकसान पहुंचाती हैं।

बच्चे करेंगे पड़ोसियों के घरों की जांच

डेंगू से संबंधित प्रोजेक्ट बनाने के लिए स्कूली बच्चों को होमवर्क दिया जाएगा और उन्हें एडीज मच्छर का जीवनचक्र बनाने का कार्य भी सौंपा जाएगा। खुद के घर के अलावा अपने 10 पड़ोसियों के घरों की जांच का जिम्मा भी स्कूली बच्चों को दिया जाएगा।

2